

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

— अप्रार्थी

**प्रार्थना-पत्र पत्थरगढी मय पुलिस इमदाद के करवाने बाबत।**

प्रार्थी ग्राम कोटखावदा तहसील कोटखावदा, जिला जयपुर खातेदार काश्तकार है जिनके खसरा नंबर 5468/4, 5583, 5585/1, 5586/1, 5591/3, 5592/3, 5593/3, 5594/3, 5596/3, कुल किता 9 कुल रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 5468/2, 5581, 5588/2, 5589/2, 5590, 5591/1, 5592/1, 5593/1, 5594/1, 5595, 5596/1, कुल किता 11 कुल रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 5466/1, 5467/1, 5468, 5579, 5585/2, 5586/2, 5591/2, 5592/2, 5593/2, 5594/2, 5596/2, कुल किता 11 कुल रकबा 0.50 है0 भूमि वाके ग्राम कोटखावदा, तहसील कोटखावदा जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है प्रार्थी उक्त खातेदार भूमि की पत्थर गढी करवाने हेतु निवेदन किया गया है, प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जवाब सरकार लिया गया जो संलग्न मिसल है वकील प्रार्थिया को सुना गया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नंबर 5468/4, 5583, 5585/1, 5586/1, 5591/3, 5592/3, 5593/3, 5594/3, 5596/3, कुल किता 9 कुल रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 5468/2, 5581, 5588/2, 5589/2, 5590, 5591/1, 5592/1, 5593/1, 5594/1, 5595, 5596/1, कुल किता 11 कुल रकबा 0.50 है0 एवं खसरा नंबर 5466/1, 5467/1, 5468, 5579, 5585/2, 5586/2, 5591/2, 5592/2, 5593/2, 5596/2, कुल किता 11 कुल रकबा 0.50 है0 में स्थित है की भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं पडौसी काश्तकारों की मौजूदगी में अन्य कि

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस0डी0एम0) चाकसू

न्यायालय का स्थगन नही हो तथा फसल कटने के बाद पत्थरगढी की जावे। साथ ही उक्त आदेश केवल उक्त आदेश पत्थरगढी का है जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नही सम्मलाया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(एस0डी0एम0) चाकसू